रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2005/अग्रहायण 9, 1927 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 556
No. 173] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2005/AGRAHAYANA 9, 1927 [N.C.T. D. No. 556

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2005

सं. एफ. 8(20)/दि. वि. वि. आ./2005-2006/3104.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127(1), धारा 181(2)(ZO) के साथ पठित, के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत मूल्यांकन अधिकारी के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल करने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक, आरंभ तथा व्याख्या – (1) यह विनियम दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रकिया) विनियम, 2005 कहलायेंगे ।**

(2) यह विनियम अधिकारिक गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू हो जायेंगे ।

2. परिभाषाएं – इस विनियम में, बशर्ते कि संदर्भ में कोई अन्य आवश्यकता न हो :

(क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003;

(ख) "अपीलीय प्राधिकरण" का अर्थ है अधिनियम की धारा 176(2)(u) के अंतर्गत के साथ पठित धारा 127 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकरण;

(ग) "मूल्यांकन अधिकारी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत नामित मूल्यांकन अधिकारी;

(घ) "आयोग" का अर्थ है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग;

(ड.) "लाइसेंस धारक" का अर्थ है वितरण लाइसेंस धारक जिसे एक वितरण व्यवस्था के संचालन एंव देखरेख करने तथा संबधित आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है; और

12. Whether there was any consent of the Appellant to the final order.

13. Nature of the unauthorized use alleged.

14. Gist of the decision of the assessing officer.

15. Whether the appellant has deposited the one third of the disputed amount and if so the details thereof. (Documentary evidence of such deposit)

16. GROUNDS OF CHALLENGE.

(State the grounds of the case on which the appeal is filed and the reason(s) why the final order is unsustainable).

17. Details of Fees.

PRAYER

It is therefore, prayed that ____

____

Appellant

VERIFICATION

I, ... the Appellant declare that the facts stated in the above Memorandum of Appeal are true to my knowledge (or based on information from .... and believed by me to be true); no part of the same are false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at .... on this .... day of ....

Appellant

Place :
Date :

सं. एफ. 8(21)/दि. वि. वि. आ./2005-2006/3103.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अनुच्छेद 181 के साथ पठित, अनुच्छेद 41 और 51 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों और उसकी ओर से अधिकार प्रदान करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है जो कि पारेषण एवं वितरण लाइसेंसधारकों के अन्य कारोबार के संबंध में व्यवहार करने तथा अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक भाग को लाइसेंसीकृत कार्य तथा इससे संबंधित एवं अनुषंगी मामलों के लिए उपयोग करने से संबंधित है :

1. संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र एवं आरंभ :–

(i) इन विनियमों को **दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारकों एवं वितरण लाइसेंसधारकों के अन्य कारोबार से आय के संबंध में व्यवहार) विनियम, 2005** कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम, अधिनियम के लागू होने के पहले से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत वितरण के कार्य में लगे किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को छोडकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर पारेषण एवं वितरण में लगे सभी लाइसेंसधारकों पर लागू होंगे।

(iii) ये विनियम आधिकारिक गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएंगे।

2. परिभाषाएं एवं व्याख्या :–

इन विनियमों में, बशर्ते कि संदर्भ में कोई अन्य आवश्यकता न हो :

क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

ख) "आयोग" का अर्थ है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग;

ग) "लाइसेंस" का अर्थ है अधिनियम के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य में विद्युत के अंतर्राज्य पारेषण या वितरण का कार्य करने के लिए दिया गया लाइसेंस;

घ) "लाइसेंसीकृत कारोबार का अर्थ होगा वे कार्य एवं गतिविधियां, जो अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस अथवा माने गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारक के लिए करना आवश्यक है;

ङ) "लाइसेंसधारक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है;

च) "अन्य कारोबार का अर्थ है लाइसेंसीकृत कार्य के अतिरिक्त लाइसेंसधारक का कोई अन्य कारोबार;

छ) "राज्य" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली;

ज) जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का यहां प्रयोग किया गया है पर विशिष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो अर्थ अधिनियम में दिया गया है।

3. अन्य कारोबार की सूचना :

(1) यदि कोई लाइसेंसधारक परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए किसी अन्य कारोबार में संलग्न होता है, तो वह आयोग को ऐसे अन्य कारोबार के बारे में लिखित पूर्व सूचना देगा जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे :

क) अन्य कारोबार की प्रकृति;

ख)

(i) अन्य कारोबार में प्रस्तावित पूंजी निवेश;

(ii) अन्य कारोबार के समर्थन के लिए लाइसेंसीकृत कारोबार में प्रस्तावित पूंजी निवेश

ग) अन्य कारोबार के लिए लाइसेंसीकृत कारोबार की परिसंपत्तियां एवं सुविधाओं के उपयोग की प्रकृति और सीमा;

घ) अन्य कारोबार के लिए परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं के उपयोग का लाइसेंसीकृत कारोबार पर तथा लाइसेंसीकृत कारोबार के कर्तव्यों को पूरा करने की लाइसेंसधारक की क्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव; और

ङ) लाइसेंसीकृत कारोबार की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं के उपयोग का ढंग तथा इस बात का औचित्य--साधन की इसे लाइसेंसीकृत कारोबार की गतिविधियों के संचालन को प्रभावित किए बिना अधिकतम लाभ के ढंग से चलाया जाएगा।

(2) लाइसेंसधारक पर यह सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व होगा कि अन्य कारोबार के लिए लाइसेंसीकृत कारोबार की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं का उपयोग किसी भी प्रकार से लाइसेंसीकृत कारोबार के अंतर्गत लाइसेंसधारक हेतु आवश्यक कर्तव्यों के पूरा होने अथवा सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करे और ऐसा कोई भी उपयोग पूरी तरह लाइसेंसधारक की लागत और जोखिम पर होगा।

4. लेखा :–

(1) लाइसेंसधारक बाध्य है कि वह;

क) अन्य कारोबार की गतिविधियों के लिए, पृथक लेखा अभिलेख रखेगा, जैसे कि ऐसा कोई राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, देय, कोष, या सामग्री की राशियां जो किसी अन्य कारोबार से ली या दी गई हैं तथा उनके साथ उस

लेन–देन के आधार का वर्णन संलग्न है अथवा विभिन्न कारोबारी गतिविधियों के बीच बंटवारे या आवंटन द्वारा निर्धारित हुई हैं जिनके साथ वर्णन संलग्न है;

ख) ऐसे अभिलेखों से नियमित आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा वक्तव्य तैयार करेगा जिसमें हानि एवं लाभ खाता, तुलनपत्र और धनराशि के स्रोत तथा उपयोग का वक्तव्य सम्मिलित होगा;

ग) तैयार किए गए लेखा वक्तव्यों के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो यह बताएगी कि उनकी राय में क्या ये वक्तव्य उचित ढंग से तैयार किए गए हैं और वक्तव्यों से संबंधित कारोबार के लिए तर्कसंगत ढंग से संबद्ध राजस्व, लागतों, परिसंपत्तियों, कोषों की वास्तविक एवं सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

घ) आयोग के समक्ष ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो अन्य कारोबार के लिए लाइसेंसधारक द्वारा उठाए गए अतिरिक्त खर्चों की समीक्षा के लिए आवश्यक है;

ङ) लेखा वक्तव्यों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अधिकतम छह माह के भीतर प्रस्तुत करेगा; और

च) कंपनी अधिनियम 1956, या किन्हीं अन्य अधिनियमों/नियमों, जो भी लागू होते हों, के अंतर्गत अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का भी पालन करेगा।

(2) लाइसेंसधारक आयोग के लिए संतोषजनक ढंग से यह सिद्ध करेगा कि ओवरहेड लागतें तथा अन्य सामान्य लागतों का एक उचित हिस्सा अन्य कारोबार द्वारा उठाया जाता है।

5. प्रतिबंध एवं वित्तीय निहितार्थ :–

1) लाइसेंसधारक किसी भी ढंग से लाइसेंसीकृत कारोबार की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं का ऐसा उपयोग नहीं करेगा या इन गतिविधियों को प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः इस ढंग से चलाने देगा कि इसके परिणामस्वरूप लाइसेंसीकृत कारोबार किसी भी ढंग से अन्य कारोबार को सब्सिडी प्रदान करता है।

2) लाइसेंसधारक किसी भी ढंग से, प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः लाइसेंसीकृत कारोबार की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं को अन्य कारोबार के लिए अथवा लाइसेंसीकृत कारोबार के अतिरिक्त किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ऋणग्रस्त नहीं करेगा।

3) लाइसेंसधारक अन्य कारोबार के लिए उन सभी लागतों का भुगतान करेगा जो लाइसेंसीकृत कारोबार के खाते में दर्ज हैं और ऐसी लागत लाइसेंसीकृत कारोबार तथा अन्य कारोबार दोनों के लिए व्यय होने की स्थिति में, ऐसी लागत का बंटवारा करेगा और अन्य कारोबार से लाइसेंसी कारोबार को लागत के संबंधित भाग का भुगतान होना सुनिश्चित करेगा।

4) अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व इसी प्रकार की अन्य कारोबारी गतिविधियों के लिए बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप होना चाहिए।

5) उपरोक्त उप–अनुच्छेद (3) के अंतर्गत लागतों के बंटवारे के अतिरिक्त, लाइसेंसधारक अन्य कारोबार से राजस्वों के एक निश्चित भाग को लाइसेंसीकृत कारोबार को भुगतान सुनिश्चित करेगा। सामान्य सिद्धांत के तौर पर, लाइसेंसधारक अन्य कारोबार के खाते में आने वाले राजस्वों का 20% रखेगा और राजस्व का शेष 80% विनियमित कारोबार को सौंप देगा।

यदि लाइसेंसधारक राजस्वों के बंटवारे के संबंध में उपरोक्त प्रावधान में बदलाव चाहता है, तो वह बंटवारे के उपरोक्त फार्मूला में परिवर्तन के लिए आयोग की स्वीकृति पाने हेतु उचित औचित्य–साधन के साथ आयोग मे प्रतिवेदन कर सकता है।

6. आयोग की शक्तियां :–

(1) आयोग किसी भी समय यह निर्धारित करने के लिए अन्य कारोबार हेतु प्रयोग की जा रही लाइसेंसीकृत कारोबार की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं की सीधी जांच करा सकता है कि :–

क) क्या उपरोक्त अनुच्छेद 5 में उल्लिखित ढंग से लागतों एवं व्ययों का उपयुक्त ढंग से समायोजन एवं भुगतान किया जा रहा है;

ख) क्या अन्य कारोबार के राजस्व विनियम 5 के उप–अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार है और लाइसेंसीकृत कारोबार को देय सकल राजस्वों तथा धनराशियों के निर्धारण के लिए तर्कसंगत तथा उचित ढंग से खाते में उल्लिखित हैं।

(2) आयोग उपरोक्त उप–अनुच्छेद (1) के अंतर्गत जांच करने तथा आयोग को रिपोर्ट देने के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अथवा किसी पेशेवर व्यक्ति या विशेषज्ञ या परामर्शदाता को अधिकृत कर सकता है।

(3) उपरोक्त उप–अनुच्छेद (2) के अंतर्गत रिपोर्ट पर विचार करने और लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आयोग ऐसे आदेश जारी कर सकता है जिन्हें आयोग अन्य कारोबार द्वारा बांटे जाने वाले लागतों एवं व्ययों तथा लाइसेंसीकृत कारोबार की आय के रूप में दर्ज किए जाने वाले अन्य कारोबार के राजस्व के भाग के संबंध में उपयुक्त समझता है।

7. आदेश तथा व्यवहार संबंधी निर्देश जारी करना :–

विद्युत अधिनियम, 2003 और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय–समय पर, विभिन्न ऐसे मामलों में, जिन पर निर्देश देने हेतु इन विनियमों में आयोम को अधिकार दिया गया है तथा इनसे जुड़े एवं अनुषंगी मामलों में, इस नियमावली के क्रियान्वयन तथा प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश एवं व्यवहार संबंधी निर्देश जारी कर सकता है ।

8. कठिनाइयों को हटाने की शक्ति :–

यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश से, ऐसा कार्य कर सकता है या करवा सकता है अथवा लाइसेंसधारक को ऐसा कार्य करने या करवाने के लिए निर्देश दे सकता है, जो आयोग की राय में कठिनाईयों को हटाने के लिए आवश्यक अथवा युक्तिसंगत हैं।

9. संशोधन करने की शक्ति :–

आयोग किसी भी समय संशोधन के द्वारा इन विनियमों के किसी प्रावधान में जोड़ सकता है, फेर–बदल, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकता है।

10. जांच, छानबीन आदि की प्रक्रिया :–

सभी प्रकार की जांच, छानबीन और अधिनिर्णयन आयोग द्वारा अपने कार्य–संचालन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे।

सोमित दासगुप्ता, सचिव

No. F. 8 (21)/DERC/2005-2006/3103.—In exercise of powers under Section 41 and 51 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all powers enabling it in that behalf, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations providing for the

treatment of Other Business of Transmission and Distribution licensees and the proportion of revenues from Other Business to be utilized for Licensed Business and for matters incidental and ancillary thereto:

1. **Short title, extent and commencement:-**

i. These Regulations may be called the **Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) Regulations, 2005.**

ii. These Regulations shall be applicable to all intra-state Transmission Licensees and the Distribution Licensees in the National Capital Territory of Delhi, except any local authority engaged, before the commencement of the Act, in the business of distribution of electricity in the National Capital Territory of Delhi.

iii. These Regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions and interpretation:-**

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

b) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission;

c) "License" means a license granted under Section 14 of the Act to undertake intra- state Transmission or Distribution of Electricity in the State;

d) "Licensed Business" shall mean the function and activities, which

the Licensee is required to undertake in terms of the License granted or being a deemed Licensee under the Act.

e) "Licensee" means a person who has been granted a license;

f) "Other Business" means any business of the Licensee other than the licensed business;

g) "State' means National Capital Territory of Delhi;

h) Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein above shall bear the same meaning assigned to them in the Act.

3. Intimation of other business:

(1) In the event a Licensee engages in any Other Business for optimum utilization of the assets, he shall give prior intimation in writing to the Commission of such Other Business including the following details:

a) The nature of the Other Business;

b) (i) the proposed capital investment in the Other Business;
(ii) the proposed capital investment in the Licensed Business for supporting the Other Business;

c) the nature and extent of the use of assets and facilities of the Licensed Business for the Other Business;

d) the impact of the use of assets and facilities for the Other Business on the Licensed Business and on the ability of the Licensee to carry out obligations of the Licensed Business; and

e) the manner in which the assets and facilities of the Licensed Business shall be used and justification that it will be used in an optimum manner without affecting maintenance of the activities of the Licensed Business.

(2) The Licensee shall have the absolute responsibility to ensure that the utilization of the assets and facilities of the Licensed Business for Other Business shall not in any manner affect the performance of the obligations or the quality of service required from the Licensee under the Licensed Business and that any such utilization shall be entirely at the cost and risk of the Licensee.

4. Account:-

(1) The Licensee shall;

(a) maintain for Other Business activities, separate accounting records, such as amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been charged from or to any Other Business together with a description of the basis of that charge or determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description;

(b) prepare on a consistent basis from such records accounting statements for each financial year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of source and application of funds;

(c) provide in respect of the accounting statements prepared, a report by the Auditors in respect of each Financial Year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenue, costs, assets, liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate;

(d) submit to the Commission such information that is required to review the additional cost incurred by the licensee for Other Business;

(e) submit copies of the accounting statements and Auditor's report not later than six months after the close of the financial year to which they relate; and

(f) also comply with other statutory requirements under the Companies Act 1956, or any other Acts/ Rules as may be applicable.

(2) The Licensee shall establish to the satisfaction of the Commission that the Other Business duly bear an appropriate share of overhead costs and other common costs.

5. Prohibitions and Financial Implications:-

1) The Licensee shall not in any manner utilize the assets and facilities of the Licensed Business or otherwise directly or indirectly allow the activities to be undertaken in a manner that it results in the Licensed Business subsidising the Other Business in any manner.

2) The Licensee shall not in any manner, directly or indirectly encumber the assets and facilities of the Licensed Business for the other Business or for any activities other than the Licensed Business.

3) The Licensee shall duly pay for all costs accounted for in the Licensed Business which have been incurred for Other Business and in the event of such cost being incurred commonly for both the Licensed Business and Other Business, apportion such cost and ensure due payment of apportioned costs to the Licensed Business from the Other Business.

4) The revenue derived from the Other Business shall commensurate with prevailing market condition for such similar business activities.

5) In addition to the sharing of costs under sub-clause (3) above, the Licensee shall account for and ensure due payment to the Licensed Business a certain proportion of revenues from the other Business. As a general principle, the Licensee shall retain 20% of the revenues arising on account of Other Business and pass on the remaining 80% of the revenues to the regulated business.

Provided that in case a change in the above provision regarding sharing of revenues is considered by the licensee, he may approach the Commission for change of the aforesaid sharing formula, with proper justification, for approval of the Commission.

6. Powers of the Commission:-

(1) The Commission may at any time direct investigation of the assets and facilities of the Licensed Business being used for the Other Business of the Licensee to determine:-

(a) whether the costs and expenses are being appropriately adjusted and paid as mentioned in clause 5 above;

(b) whether the revenues of the Other Business are in accordance with provisions of sub-clause 4 of Regulation 5 and are reasonably and properly accounted for to determine the gross revenues and the amounts payable to the Licensed Business.

(2) The Commission may authorize any officer of the Commission or any professional person or expert or consultant to carry out the investigation under sub-clause (1) above and submit a report to the Commission.

(3) The Commission may, after considering the report under sub-clause (2) above and after giving an opportunity of hearing to the

Licensee, pass such orders as the Commission considers appropriate in regard to the costs and expenses to be shared by the Other Business and proportion of the revenue of the Other Business to be accounted as the income of the Licensed Business.

7. Issue of orders and practice directions:-

Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue Orders and Practice Directions in regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to direct, and matters incidental or ancillary thereto.

8. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the Licensee to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for removing the difficulties.

9. Power to amend:

The Commission may, at any time add, vary, alter or modify any provisions of these Regulations by amendment.

10. Procedure for investigation, inquiries etc.:

All inquiries, investigations and adjudication shall be done by the Commission through proceedings as per the provisions of its Conduct of Business Regulations.

SOMIT DASGUPTA, Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 357
No. 8]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGARHAYANA 7, 1939	[N.C.T.D. No. 357

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

सं एफ.3(470)/टैरिफ–इंजी./डीईआरसी/2016–17/5435/1729.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंस धारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) विनियम, 2005 के विनियम 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उस संबंध में सक्षम करने वाली सभी शक्तियों से, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) विनियम, 2005 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:

1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकता है।

(2) यह विनियम अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2.0 प्रमुख विनियम के विनियम 4 के उप–विनियम (1) (क) में संशोधन।

प्रमुख विनियम के विनियम 4 के उप– विनियम (1) (क) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः –

(क) किसी अन्य व्यवसाय गतिविधि के लिए खंडवार रिपोर्टिंग को बनाए रखना जैसे किसी अन्य व्यवसाय से अथवा के लिए लगाए गए शुल्क सहित उस शुल्क के आधार के विवरण के साथ या विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संविभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, दायित्व, संचय या प्रावधान की राशि।

3.0 प्रमुख विनियम के विनियम 5 के उप– विनियम (5) में संशोधन।

प्रमुख विनियम के विनियम 5 के उप–विनियम (5) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"(5) उपरोक्त उप–खंड (3) के अधीन लागतों को साझा करने के अतिरिक्त, लाइसेंसधारक लाइसेंसीकृत व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होगा और लाइसेंसीकृत व्यवसाय को अन्य व्यवसाय से राजस्व का एक निश्चित अनुपात का भुगतान सुनिश्चित करेगा, जो निम्नानुसार होगा:

क) जहां लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं का अन्य व्यवसायों के लिए उपयोग करता है, वहां लाइसेंसधारक ऐसे व्यवसाय से शुद्ध राजस्व का 40% बनाए रखेगा और शुद्ध राजस्व के शेष 60% को विनियमित व्यवसाय को पारित करेगा; तथा

ख) जहां लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं का अन्य व्यवसायों के लिए उपयोग नहीं करता है, वहां लाइसेंसधारक ऐसे व्यवसाय से शुद्ध राजस्व का 60% बनाए रखेगा और शुद्ध राजस्व के शेष 40% को विनियमित व्यवसाय को पारित करेगा;

बशर्ते कि ऐसे अन्य व्यवसायों की किसी भी क्षति के लिए लाइसेंसधारक जिम्मेदार होगा।"

सुरेंद्रा इडुपघंटी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2017

Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2017

No. F. 3(470)/Tariff-Engg./DERC/2016-17/5435/1729.—In exercise of powers conferred under regulation 9 of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) Regulations, 2005 and all powers enabling it in that behalf, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) Regulations, 2005:

1.0 Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2017.

(2) This Regulation shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 Amendment of sub-regulation (1) (a) of Regulation 4 of the Principal Regulation.

In Regulation 4 of Principal Regulations, for sub-regulation (1) (a), the following shall be substituted namely:-

(a) maintain segment wise reporting for Other Business activities, such as amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been charged from or to any Other Business together with a description of the basis of that charge or determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description.

3.0 Amendment of sub-regulation (5) of Regulation 5 of the Principal Regulation.

In Regulation 5 of Principal Regulations, for sub-regulation (5), the following shall be substituted namely:-

"(5) In addition to the sharing of costs under sub-clause (3) above, the Licensee shall account for and ensure due payment to the Licensed Business a certain proportion of revenues from the other Business as follows:

a) where the Licensee utilizes the assets and facilities of the licensed business for other business the Licensee shall retain 40% of the net revenue from such business and pass on the remaining 60% of the net revenue to the regulated business; and

b) where the Licensee does not utilize the assets and facilities of the licensed business for other business, the Licensee shall retain 60% of the net revenue from such business and pass on the remaining 40% of the net revenue to the regulated business;

Provided that any deficit on account of such other business shall be to the account of the licensee."

SURENDRA EDUPGHANTI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.